

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ / प्रशा / स्था / 2022 / ५४९४

दिनांक: 12/01/2022

// कार्यालयीन आदेश //

वर्तमान में कोविड संक्रमण अत्यधिक तेजी से फैल रहा है, कोविड संक्रमण को देखते हुए कोविड रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय परिसर में सुबह एवं शाम घूमने वालों को प्रतिबंधित किया जाता है तथा विश्वविद्यालय के दोनों गेटों को कार्यालयीन समय के बाद तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय में आने वाले छात्र/छात्राओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं समस्त कार्य खिड़की से किये जावेंगे। प्रशासनिक भवन में छात्र/छात्राओं एवं बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा।


उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों/छात्र एवं छात्राओं की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री संजय बरतरिया, आई0टी0 सेल की ओर इस आशय के साथ प्रेषित की वह उक्त आदेश को तत्काल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


सहायक उप-कुलसचिव (प्रशा0)